न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्त सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2018

प्रार्थीः–

1. श्री जयकरण पुत्र श्री डुंगरदान जी जाति चारण उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली राज.।

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री गुमानसिंह, उम्र वयस्क,
2. श्री भवानीसिंह उम्र वयस्क,
3. श्री गोविंदसिंह, उम्र वयस्क,
4. श्री कैलाशदान, उम्र वयस्क, पिसराम श्री शेषकरणसिंह जी, जातिगण–चारण, निवासीगण– ग्राम रूपावास तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

–:निर्णयः– दिनांक 27.08.2019

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक वाद श्रीमान के समक्ष वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसके हालातो, तथ्यों एवं वाक्यातो को देखते हुए वाद के प्रथम दृष्टया ही सफल होने के आसार है। मौजा ग्राम रूपावास तहसील पाली में खसरा नम्बर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी प्रार्थी की स्वयं की मालिकाना हक की खातेदारी की तरमीम शुदा कृषि भूमि स्थिति है। जिस संबंध में वर्तमान जमाबंदी की नकल एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी की उक्त तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी का कदिम से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस बाबत पासबुक की नकल संलग्न है। वर्तमान मे भी कब्जा काश्त उक्त कृषि भुमि पर प्रार्थी का ही है। प्रार्थी की उक्तकृषि भुमि मे स्थित अपनी पश्चिम दिशा वाली माठ भुमि एकीकरण समय से प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि मे ही स्थित है जो हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान दिनांक 02.04.2019 से भी स्पष्ट है।

प्रार्थी की कृषि भुमि में स्थित उक्त माठ प्रार्थी की कृषि भुमि का ही भाग है जिस सन्दर्भ मे जानबुझकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की मालिकाना हक की खातेदारी की उक्त कृषि भुमि को हड़पने की नियति से गलत कथन करते हुए भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। जिस संदर्भ में प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी भुमि एकीकरण का नक्शा मय टिप्पणी संलग्न है। प्रार्थी के पिता की उक्त कृषि भुमि खसरा नम्बर 642 में से प्रार्थी के मालिकाना हक की उक्त कृषि भुमि जरिये पारिवारिक बंटवाड़ा खसरा नम्बर 642/2 प्राप्त हुई। प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भुमि की माठ पर बबुल की झाडी एवं साफ सफाई करने जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी के उक्त कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने लगे तथा माठ की सफाई एवं उक्त तरमीम शुदा खातेदारी

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करते हुए प्रार्थी को रोका गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नहीं है। जब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा जमीन के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने पर अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार महोदय पाली के समक्ष अपनी उक्त कृषि भुमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश यिका गया तत्पश्चात बाद जांच प्रार्थी की मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा उक्त कृषि भुमि का दिनांक 02.04.2019 को मौके पर जाकर मौतबिरान के उपस्थित में प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि का सीमांज्ञान करवाया गया। उसके पश्चात भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के उक्त खातेदारी की तरमीम शुदा कृषि भुमि मे स्थित अपनी माठो पर अप्राथीगण बबुल की झाड़िया वगैरा काटने नही दे रहे है।

अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध तरीके से कानुन को अपने हाथो में लेकर उक्त कृत्य कर रहे है। जिसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना अतिआवश्यक व न्यायसंगत है। प्रार्थी को अपनी मालिकाना हक की स्थित कृषि भुमि मे माठ पर खडी बबुल की झाड़ियो की सफाई करने एवं उक्त कृषि भुमि के सम्पूर्ण रकबे का उपयोग उपभोग करने का पुरा पुरा हक अधिकार है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की तरमीम शुदा उक्त खातेदारी की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग मे व्यवधन उत्पन्न नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न कर बेदखल करने पर सफल हो जाते हो तो निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होनी है जिसकी भरपाई वादी भविष्य मे रूपयो पैसो से नही कर सकेगा। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रथम दृष्टया मामला ऑन रेकर्ड सिद्ध है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की मालिकाना हक की तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण बदनियति पूर्वक प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भुमि के पश्चिम में स्थित अपनी कृषि भुमि का रकबा विधि विरूद्ध तरीके से बढाते हुए प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि में अतिक्रमण कर हड़पना चाहते है।

अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना कानुनन लाजमी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की खातेदारी की कृषि भुमि मे स्थित माठ के संबंध मे भ्रम उत्पन्न करने पर प्रार्थी को अपनी उक्त तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भुमि का सीमाज्ञान प्राप्त किया गया। तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त हरकतो से बाज नही आने पर प्रार्थी अपनी मालिकाना हक की तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भुमि की सुरक्षा हेतु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आज श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रहा है। अप्रार्थीगण दल बल मे मजबुत होने एवं प्रभावशाली तथा प्रार्थी अत्यंत वृद्ध एवं अकेला व्यक्ति होने से अप्रार्थीगण के हौसले बढ़े हुए है। अप्रार्थीगण प्रार्थी एवं प्रार्थी के मजदुरो को मौके पर गंभीर मारपीट कर प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भुमि मे प्रार्थी को उक्त कृषि कार्य नही करने हेतु आमादा है अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना लाजमी है। प्रार्थी अगर अपनी मालिकाना हक की खातेदारी की, तरमीम शुदा उक्त कृषि भुमि के उपयोग उपभोगब करने से महरूम रह जाता है तो प्रार्थी अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग नही कर पायेगा। अप्रार्थीगण को विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की मालिकाना हक की कृषि भुमि मे हस्तक्षेप कर अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना लाजमी है प्रथम दृष्टया मामला ऑन रेकर्ड सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्ष मे है। प्रार्थी की मालिकाना हक की कब्जा काश्त की तरमीम शुदा खातेदारी की उक्त कृषि भुमि के उपयोग उपभोग, कब्जा काश्त मे अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी अथवा व्यवधान तामूल फैसला वाद नही करे, न ही उक्त कृत्य अपने किसी नौकर एजेण्ट अथवा किसी अन्य से करावे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अविलम्ब जारी फरमावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं के खसरा संख्या 642/2 की कृषि भुमि होने होने बाबत कथन कर स्वयं के पश्चिम दिशा की भुमि माठ के बाबत विवाद पेश किया है तथा पश्चिम की तरफ अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 641 की कृषि भुमि होना दर्शाया गया है व इन दोनो खसरो के बीच की माठ का विवाद होने का कथन कर धारा 188 का वाद पेश किया है जो सीमा विवाद है। वह सीमा विवाद के संबंधीत वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं। प्रार्थी द्वारा जो वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है इसमे खसरा नम्बर 642/2 रकबा 37 बीघा मय माठ का राइट व टाईटल तय करवाया चाहता है। धारा 188 के तहत राईट व टाईटल तय नहीं किया जा सकता ह। वाद मेंटेनेबल नहीं है। प्रार्थी के तथाकथित खसरा संख्या 642/2 के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 643 राजेन्द्रसिंह जी की खातेदारी का तथा खसरा संख्या 644 गजसिंह की खातेदारी का हैं जिसकी माठ भी शामिल हैं परन्तु इन्हे पक्षकार नहीं बनाया है व माठ पुरानी है इस कारण से बिना इन्हे पक्षकार बनाये वाद चलने योग्य नहीं है। खसरा संख्या 642 का मुल खातेदार प्रार्थी के पिता डूंगरदान थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है इसका कुल रकबा 111 बीघा है इसके बट्टा नम्बर होना प्रार्थी द्वारा कथन किया है वह बंटवाड़ा किये जाने का भी कथन किया है। प्रार्थी सहित डूंगरदान के तीन पुत्र है जो बलवंतसिंह, लालसिंह व प्रार्थी जयकरण है। नक्शा लट्ठा मे किसी प्रकार से कोई तरमीम नही है व प्रार्थी द्वारा यह भी नही कहा हैं कि प्रार्थी के पास भुमि कम हो तथा इनके भाई बलवंतसिंह व लालसिंह के पास भी भुमि कम हो तथाा इनके भाई बलवतसिंह व लालसिंह के पास भी भुमि कम हो जब तीनो भाईयों के पास भुमि बराबर है व कम होने का कथन नही है तो अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ नक्शा पेश किया है व इसी नजरी नक्शे में मार्क ए,बी तक खसरा संख्या 641 की सीमा बताई गई हैं व नक्शा लट्ठा के अनुसार व ट्रेस के अनुसार भी ये ही सीमा है परन्तु मौके पर माठ जो बनी हुई है यह नजरी नक्शे मे माठ ए,सी,ई हैं व प्रार्थी नजरी नक्शे मे मार्क ए,सी के पश्चिम की तरफ अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है व ए,सी पर खड़े देशी बबुल व अन्य पेड़ जो प्रतिबंधित है इसे काटना चाहता है इस कारण से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा मार्क एक्स नजरी नक्शे मे खसरा संख्या 643 व मार्क वाई खसरा संख्या 344 दर्ज है जिनके खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण से वाद चलने योग्य नहीं है। खसरा संख्या 642 रकबा 111 बीघा 11 बिस्वा का है। इस खसरे की तरमीम होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये है तथा बलवंतसिंह, लालसिंह तथा जयकरण के पक्ष मे आपसी रजाबंदी गया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया गया है। तरमीम होने का कथन पूर्णतया झूठा, बनावटी व कुटरचित है जिसे अप्रार्थी स्वीकार नहीं करता है। जमाबंदी भी खसरा नम्बर 642/2 की अप्रार्थी अस्वीकार करता है। नक्शा लट्टा मे किसी प्रकार से तरमीम नही की हुई है न ही तरमीम होने का कोई आदेश ही है। खसरा संख्या 642/2 पर प्रार्थी का कदीमी से 37 बीघा पर कब्जा काश्त नहीं रहा हैं कथन झूठे व बनावटी हैं तरमीम होने व बंटवाड़ा होने के दस्तावेजात व सक्षम अधिकारी के संबंधित

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज व पर्टीकुलर पेश नही किये है इस कारण 642/2 किस जगह तरमीम हुआ है यह साबित नहीं है। सम्पूर्ण खसर मे जब बट्टा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही है तो प्रार्थी द्वारा जिस जगह अपनी कृषि भुमि क्लेम किया है वह मौके की स्थिति के विरूद्ध है जो माठ खसरा संख्या 642 के पश्चिम की तरफ है वह खसर संख्या 641 के पूर्व की तरफ है यह वक्त सेटलमेंट से चली आ रही हैं। खसरा सख्या 642/2 की काश्त योग्य भुमि पर अप्रार्थी का न तो हस्तक्षेप है न ही हस्तक्षेप किया है न अप्रार्थी की ऐसी मंशा है। प्रार्थी माठ व इस पर खेड़े बबुल,देशी बबुल व अन्य पेड़ को काटने हेतु आमदा है इसका विरोध अप्रार्थी द्वारा किया गया क्योकि उक्त माठ अप्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग की है व खसरा संख्या 641 का हिस्सा है व विवाद माठ के संबंधित ही है इस कारण से प्रार्थी माठ तोड़ने, माठ हटाने अथवा पेड़ तोड़ने का हक अधिकार नही रखता है इस कारण से 188 का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन चलने योग्य नहीं है। माठ की भुमि प्रार्थी की नही है न ही खसरा नम्बर 642 का हिस्सा है। माठ का विवाद वाद के अंतिम निस्तारण मे निस्तारित होगा इस कारण अंतरिम रिलिफ प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माठ का उपयोग उपभोग भी प्रार्थी का नहीं है। अप्रार्थी की उपस्थिति मे कभी भी पैमाईश नही गई न ही पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई न ही अप्रार्थी को नोटिस देकर तलब किया गया। दिनांक 02.04.19 की रिपोर्ट अप्रार्थी अस्वीकार करता है प्रार्थी की भुमि तरमीमसुदा नहीं है। प्रार्थी को खसरा संख्या 642 मे काश्त योग्य भुमि से कतई बेदखल नही किया है न ही बेदखल करने की मंशा है। माठ का विवाद है। प्रार्थी की माठ को तोड़ने हेतु आमदा है जो तोड़ने का अधिकार प्रार्थी को नही है। माठ खसरा संख्या 642 की भुमि मे नहीं है न ही प्रार्थी की भुमि मे है। माठ पर प्रार्थी के हक हकुक व उपयोग उपभोग नहीं है। अप्रार्थी माठ के पश्चिम मे अपना हक व अधिकार रखता है व काश्त करने का अधिकार भी है।

4- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश हेतु तीन तत्व प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानी होने के स्थिती मे दिया जा सकता है। उक्त तीनो तत्वो मेरे पक्ष मे है क्योंकि प्राईमाफेसाई केस मेरा जमाबंदी है। सुविधा का संतुलन इसके लिये खसरा गिरदावरी दी है तथा अकथनीय हानी होने के स्थिती मे दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि भूमि हमारी है तथा वकील अप्रार्थीगण जवाब मे कहेंगे कि बाउण्ड्री का मेटर है पर उनके जवाब मे ही हमारी जमीन तरमीम दिखायी गयी है। जिस सन्दर्भ मे प्रस्तुत नजीर LAW OF LAND REVENUE IN RAJASTHAN SEC 140 पेश की गई– All entries made in the record of rights shall be presumed to be true until the contrary is proved. तथा आरआरडी 1968 पेज 474 के अनुसार–

RRD 1968 Page 474:-

Record of Rights- The Court cannot go beyond an entry in the record of the rights unless it is challenged by a rightful owner before the compentent Court

RRD 1968 Page 75:-

Sec. 140 - Entries in Khasra Girdawari and Jamabandi - Presumption of Correctness attached to entries - It is no doubt true that a presumption of correctness attaches on account of Section 140 of Land Revenue Act, to the entries in the annual registers. The Jamabandi from which Ex. 2 has been taken, is undoubtendly an annual register and the appellant is justified in coutending that the entry should be presumed to be true. It is, however, to be remembered that the presumption that can be drawn under the provisions of Section 140 is rebutable and holds only so long as the contrary is noty proved. In the present case it was recorded as khatedar as the

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

head of the family and that all the evidece goes to show that this entry is not sufficient to prove that the lands were held by the plaintiff in his own right as sole khatedar.

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया की खसरा संख्या 642 की तरमीम कब हुई यह पता नहीं हैं। प्रार्थी प्रस्तुत पार्थना पत्र के नक्शे मे तरमीम नहीं है। नक्शे मे यह भी स्पष्ट नही है कि खसरा नम्बर 642/1 और अन्य खसरे कहा पर स्थित है तथा नजरी नक्शे में मार्क ए,बी तक खसरा संख्या 641 की सीमा बताई गई हैं व नक्शा लट्ठा के अनुसार व ट्रेस के अनुसार भी ये ही सीमा है परन्तु मौके पर माठ जो बनी हुई है यह नजरी नक्शे मे माठ ए,सी,ई हैं व प्रार्थी नजरी नक्शे मे मार्क ए,सी के पश्चिम की तरफ अतिकमण कर कब्जा करना चाहता है व ए,सी पर खड़े देशी बबुल व अन्य पेड़ जो प्रतिबंधित है इसे काटना चाहता है। इस कारण से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा खसरा नम्बर 642 पर प्रार्थी ने आपत्ति नही की हैं और न ही कभी रोका। सम्पूर्ण खसर मे जब बट्टा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही है तो प्रार्थी द्वारा जिस जगह अपनी कृषि भुमि क्लेम किया है वह मौके की स्थिति के विरूद्ध है जो माठ खसरा संख्या 642 के पश्चिम की तरफ है वह खसर संख्या 641 के पूर्व की तरफ है यह वक्त सेटलमेंट से चली आ रही हैं। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 641 पर काश्त करते है और उस पर उनका हक हकूक है। माठ भी उस पर बनी है। प्रार्थी माठ पर कब्जा करना चाहते है। धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत . तय करवाना चाहता है जबकी यह निषाधाज्ञा का मेटर है। जिस सन्दर्भ मे नजीरे CIVIL COURT CASES 202 P&H, Both the parties claiming to be in possession of the land in their repective rights order of status quo upheld, RRT/2018(2) पृ. 1524, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7- बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

8- उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते है। प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य,सबूत,दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये जिस माठ की प्रार्थी बात कर रहे है वह माठ प्रार्थी स्वयं के खसरा मे आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner